Amire Ahle Sunnat Se
Auraton Ke Baare Mein Suwalat (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 220
Weekly Booklet : 220

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ के मल्फ़ूज़ात का तहरीरी गुलदस्ता

अमीरे अहले सुन्नत से औ़रतों के बारे में सुवालात

सफ़हात 22

- औ़रतों का वोट्सएप इस्ति'माल करना कैसा ? 03
- अपने नाम के साथ शौहर का नाम लगाना कैसा ? 09
- "10 चींटियों की कहानी" की शरई हैसिय्यत 17
- ना महरम की छींक और सलाम का जवाब 20

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो हिक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (مُسْتَطْرَف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : **अमीरे अहले सुन्नत से औरतों के बारे में सुवालात**
सिने त़बाअ़त : रबीउ़ल अव्वल **1443** हि., नवम्बर **2021** ई.
ता'दाद : 000

नाशिर : **मक्तबतुल मदीना**

मदनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**अमीरे अहले सुन्नत से औ़रतों के बारे में सुवालात**" मजलिसे **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, Email या SMS) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 98987 32611 • E-mail :hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा ह़सरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इ़ल्म ह़ासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़्अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इ़ल्म पर अ़मल न किया)। (تاریخ دمشق لابن عساکر ج۵۱ص۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़ह़ात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه से किये गए सुवालात और उन के जवाबात पर मुश्तमिल है।

अमीरे अहले सुन्नत से औरतों के बारे में सुवालात

दुआए जा नशीने अमीरे अहले सुन्नत या अल्लाह पाक ! जो कोई 20 सफ़हात का रिसाला : **''अमीरे अहले सुन्नत से औरतों के बारे में सुवालात''** पढ़ या सुन ले उसे अपने घर की ख़वातीन को शरीअ़त के दाएरे में रहते हुए दीनी अह़कामात पर अ़मल करवाने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमा। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत

ह़ज़रते सय्यिदुना सुफ़्यान बिन उ़यैना رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : मेरा एक इस्लामी भाई था, मरने के बा'द मैं ने उसे ख़्वाब में देख कर पूछा : مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ या'नी **अल्लाह** पाक ने आप के साथ क्या मुआ़मला फ़रमाया ? जवाब दिया : **अल्लाह** पाक ने मुझे बख़्श दिया। मैं ने पूछा : किस अ़मल के सबब कहने लगा : मैं ह़दीस लिखता था जब भी शाहे ख़ैरुल अनाम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام का ज़िक्रे ख़ैर आता मैं सवाब की निय्यत से ''صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'' लिखता, इसी अ़मल की बरकत से मेरी मग़्फ़िरत हो गई। (القول البدیع، ص463)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

ग़ैर मह़रम के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाना कैसा ?

सुवाल ● ग़ैर मह़रम के साथ मुंहबोले भाई बहन का रिश्ता बहुत जल्दी क़ाइम हो जाता है, अगर इस्लाह़ की निय्यत से समझाया जाए कि ऐसा

करना मुनासिब नहीं है तो जवाब मिलता है कि येह तो मेरे बेटे जैसे हैं, या येह तो मेरे भाई जैसे हैं क्या इस्लाम में इस त़रह़ ग़ैर मह़रम से भाई बहन का रिश्ता बनाना जाइज़ है ?

जवाब ग़ैर मह़रम को भाई या बहन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क़ुरआने करीम ने वैसे ही बना दिया है । चुनान्चे इर्शाद होता है : ﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ﴾ (پ26، الحجرات:10) "**तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** मुसल्मान मुसल्मान भाई हैं।" तो यूं हर मुसल्मान औ़रत मुसल्मान मर्द की बहन है, लेकिन चूंकि ना मह़रम है इस लिये पर्दा फ़र्ज़ रहेगा (फ़तावा रज़विय्या, 22/240 माख़ूज़न) और अगर मुंहबोले भाई बहन बन भी गए तब भी पर्दा ख़त्म नहीं होगा । मुंहबोले भाई बहन बनाने का नुक़्सान येह होगा कि बे तकल्लुफ़ी और बद निगाही बढ़ेगी और "न होने का हो जाएगा।" औ़रत के लिये क़ुरआने करीम में येह हुक्म है कि वोह ग़ैर मर्द से ऐसी नर्म और लोचदार गुफ़्तगू न करे जिस से दिल का रोगी और गन्दे ज़ेह्न वाला ललचाए।[1] इस लिये औ़रत को चाहिये कि ग़ैर मर्द से बात करनी पड़े तो ऐसी आवाज़ रखे जिस में नरमी और लचक न हो, बल्कि बिल्कुल सादा और नॉर्मल हो, न मुस्कुराए, न हंसे और न ही ऐसी लिफ़्ट दे कि जिस से अगला आज़्माइश में मुब्तला हो । अलबत्ता ऐसा अन्दाज़ न हो कि सामने वाले को ग़ुस्सा आ जाए और वोह झगड़ा करने लगे । अब तो ह़ालात बहुत ख़राब हैं । किसी ना मह़रम को आन्टी (Aunty), किसी को अंकल (Uncle) और किसी को Sister (या'नी बहन) बना रखा है ।

1 ...اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ (پ22، الاحزاب:32)
तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अगर **अल्लाह** से डरो तो बात में ऐसी नरमी न करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे, हां अच्छी बात कहो ।

शाज़ो नादिर कोई घर होगा जहां शर्ई पर्दा हो। देवर और भाभी हर जगह "छोटा भाई और बड़ी बहन" के नाम से रह रहे होते हैं। इसी त़रह़ बहनोई और बीवी की बहन में भी कोई पर्दा नहीं होता। एक ही दफ़्तर और फ़ेक्टरी में He और She (या'नी मर्द व औ़रत) जम्अ़ होते हैं और बे पर्दा मिल कर काम कर रहे होते हैं। अब तो Sales girls (या'नी सामान बेचने की मुलाज़मत करने वाली औ़रतें) भी आ चुकी हैं और बसों में कन्डक्टर (Conductor) के त़ौर पर औ़रतें काम करने लगी हैं। **अल्लाह** पाक ह़िफ़्ज़ो अमान में रखे। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 102)

इस्लामी बहनों का (WhatsApp) इस्ति'माल करना कैसा ?

सुवाल क्या इस्लामी बहनें मदनी कामों की ख़ात़िर राबित़ा करने के लिये (WhatsApp) पर सौती पैग़ाम दे सकती हैं ?

जवाब इस्लामी बहनें ज़रूरतन राबित़े के लिये (Message) का इस्ति'माल करें। किसी भी इस्लामी बहन को (WhatsApp) पर सौती पैग़ाम (Audio Message) देने की मदनी मर्कज़ की त़रफ़ से इजाज़त नहीं, ह़त्ता कि अगर सामने वाली भी इस्लामी बहन हो जब भी अपनी आवाज़ में पैग़ाम रीकॉर्ड कर के न भेजें। इस लिये कि यहां येह अन्देशा मौजूद है कि उस इस्लामी बहन के घर के मर्दों तक येह आवाज़ पहुंच जाए। इस्लामी बहनों को तो वैसे भी सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिये बल्कि इस्लामी भाई भी ब क़दरे ज़रूरत और मोह़तात़ अन्दाज़ में ही इस्ति'माल करें। इस लिये कि सोशल मीडिया के ज़रीए़ बड़े बड़े पर्दादारों के पर्दे फ़ाश हो जाते हैं। कोई मुअ़ज़्ज़ज़ आदमी अपनी निजी

मजलिस में खुश त़ब्ई के तौ़र पर या वैसे ही कोई बात कह देता है लेकिन सोशल मीडिया में आने के बा'द वोही मा'मूली बात तूफ़ान का रूप धार लेती है और फिर वोह इ़ज़्ज़त दार अपनी पगड़ी उछल्ते देख कर हक्का बक्का रह जाता है और कर कुछ नहीं सकता। बहर ह़ाल हर एक को हर बात सोच समझ कर ही करनी चाहिये इस लिये कि सोशल मीडिया पर रीकोर्डिंग न भी हो जब भी दो मा'सूम फ़िरिश्ते या'नी किरामन कातिबीन तो हर एक का क़ौल व फ़े'ल लिख ही रहे हैं।[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 9)

बच्ची का नाम "अ़ज्वा" रखना कैसा ?

सुवाल बच्ची का नाम "अ़ज्वा" रखना कैसा है ?

जवाब "अ़ज्वा" मदीनए पाक बल्कि दुन्या की सब से आ'ला खजूर है, इस निस्बत से नाम रखने में कोई ह़रज नहीं है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 102)

दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे के तह़ाइफ़ इस्ति'माल करना कैसा ?

सुवाल शादी के मौक़अ़ पर दूल्हा या दुल्हन को जो तह़ाइफ़ मिलते हैं क्या उन पर दोनों का ह़क़ होता है ? या जिसे तोह़फ़ा मिला था सिर्फ़ उसी का ह़क़ होता है ?

जवाब जिस को तोह़फ़ा मिला है वोही तोह़फ़े का मालिक है,

1... जैसा कि **अल्लाह** पाक ने इर्शाद फ़रमाया : وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ﴿۱۰﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ﴿۱۱﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۱۲﴾ (پ30، الانفطار:10تا12) "**तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और बेशक तुम पर कुछ निगह्बान हैं मुअ़ज़्ज़ज़ लिखने वाले कि जानते हैं जो कुछ तुम करो।"

(فتاوی ہندیہ، 2/301 ماخوذا) उस की इजाज़त के बिग़ैर वोह चीज़ इस्ति'माल नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर एक दूसरे को ख़ुशी ख़ुशी देना चाहें तो मन्अ़ नहीं है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 105)

मियां बीवी एक दूसरे के साथ हुस्ने ज़न रखें

सुवाल मैं अपनी बीवी पर बहुत शक करता हूं, ह़ालां कि मेरे पास कोई सुबूत नहीं है। इस का कोई ह़ल बता दीजिये। (SMS के ज़रीए सुवाल)

जवाब अगर येह शक बद गुमानी की ह़द तक है और दूसरों के सामने इस का इज़्हार भी हो जाता है तो तौबा फ़र्ज़ है। (फ़तावा रज़विय्या, 13/614 माख़ूज़न, बहारे शरीअ़त, 3/538, ह़िस्सा : 16 माख़ूज़न) बद गुमानी, दिल की ग़ीबत होती है। (احیاء العلوم، 2/221, एह़याउल उ़लूम (मुतर्जम), 2/642) अगर सिर्फ़ शक पैदा होता है और उस को आदमी टालता रहता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। (عمدۃ القاری، 14/96، تحت الحدیث:5143) बद गुमानी से बचना ही होगा, क्यूं कि ह़दीसे पाक में है : ''حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ'' या'नी मुसल्मान के बारे में अच्छा गुमान अच्छी इबादतों में से है।'' (ابوداؤد، 4/387، حدیث:4993) इस लिये अच्छा गुमान रखना ही पड़ेगा, येह लाज़िम है। बल्कि आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मोमिन के मुआ़मले को अच्छे पहलू पर मह़मूल करना वाजिब है। (फ़तावा रज़विय्या, 5/324 माख़ूज़न) या'नी मुसल्मान की किसी बात पर गुनाह भरा पहलू घसीट कर नहीं लाना चाहिये, बल्कि लाज़िम है कि अच्छा पहलू तलाश करे और अगर अच्छा पहलू मिलता है तो उसी को OK करे।

बुख़ारी शरीफ़ में ह़ज़रते सय्यिदुना ईसा عَلَيْهِ السَّلَام की एक ह़िकायत है। सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''ह़ज़रते

ईसा عَلَيْهِ السَّلَام ने किसी को चोरी करते देखा तो उस से फ़रमाया : ऐ आदमी ! तू ने चोरी नहीं की ? उस ने कहा : **वल्लाह** (या'नी **अल्लाह** की क़सम) ! मैं ने चोरी नहीं की। जब उस शख़्स ने क़सम खाई तो आप पर ख़ौफ़े ख़ुदा का ग़लबा हो गया और आप ने फ़रमाया : मेरी आंखों ने धोका खाया है।''

(بخاری، 2/458، حدیث:3444ماخوذا)

येह कितना बड़ा कमाल मुआ़मला है कि एक मोमिन ख़ुदा की क़सम खा रहा है तो फिर मैं कैसे कह दूं कि ''तू झूटी क़सम खा रहा है।'' इस में हमारे लिये दर्स है कि जितना हो सके हुस्ने ज़न ही रखना है। मसलन हम ने किसी को 100 का गिरा हुवा नोट उठाते हुए देखा, तो येह सोचने के बजाए कि ''येह चोरी कर रहा है'' येह सोचें कि ''उसी का होगा और गिर गया होगा।'' अगर हुस्ने ज़न का पहलू निकल सकता है तो निकाला जाए।

मोमिन के बारे में अच्छा गुमान क़ाइम करना चाहिये और मियां बीवी को तो अच्छा गुमान रखने की ज़ियादा ज़रूरत है कि तब ही घर चलेगा, वरना घर टूट जाएगा, क्यूं कि शक की बुन्याद पर त़लाक़ हो जाती है। मैं ने ऐसा देखा है। एक शख़्स था, उसे भी अपनी बीवी पर बड़ा शक था, उस के भाई ने मुझे उस से मिलवाया, मैं ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वोह बोला कि मेरा शक ख़त्म ही नहीं होता। बिल आख़िर उस ने बेचारी को तीन त़लाक़ें दे दीं। अगर वोह वाक़ेई कुछ ग़लत़ कर भी रही है तो इस बारे में क़ियामत के दिन आप से तो नहीं पूछा जाएगा। आप तो हुस्ने ज़न ही रखें। अगर बीवी बाल्कनी में खड़ी हुई है तो येह बद गुमानी क्यूं कर रहे हैं कि ''सामने वाले घर में जो रहता है

उस से नज़र बाज़ी करती है या उस से इस की तरकीब बनी हुई है'' ह़ालां कि उस बेचारी को इस बात का पता भी नहीं होगा। इसी त़रह़ बीवी भी शौहर के बारे में बद गुमानी न करे कि ''येह फ़ुलां से तरकीब करता है, फ़ोन पर लम्बी लम्बी बातें उसी से करता है, उस चुड़ैल से इस का राबित़ा है, उसी से लगा रहता है।'' अब जिस बेचारी को येह चुड़ैल कह रही है उस को ख़्वाब में भी पता नहीं होता। शौहर अपने किसी दोस्त से कोई कारोबारी बात कर रहा होता है और येह समझ रही है कि उस से बात कर रहा है। इस त़रह़ शैत़ान लड़ाइयां करवाता है।

मुझे एक रिवायत याद आ रही है जिस का मज़्मून कुछ यूं है कि ''शैत़ान अपना तख़्त दरिया पर बिछाता है, उस के चेले जम्अ़ होते हैं, फिर वोह पूछता है कि तुम ने क्या किया? कोई कहता है कि शराब पिलवा दी, कोई कहता है कि झूट बुलवा दिया। फिर एक कहता है कि मैं ने मियां बीवी में जुदाई करवा दी। येह सुन कर शैत़ान उठता है और इ़ज़्ज़त के साथ उसे अपने बराबर में तख़्त पर बिठा कर कहता है कि काम तो बस तू ने किया है।'' (مسلم، ص1158، حدیث:7106 ماخوذا) यूं शैत़ान उस से ख़ुश होता है। जिस को जो चीज़ पसन्द होती है वोह उस को पाने के लिये ज़ियादा कोशिश भी करता है। आप को जो कुछ पसन्द है आप ज़रूर चाहेंगे कि वोह मुझे मिल जाए और उस के लिये कोशिश भी करेंगे। शैत़ान को पसन्द है कि मियां बीवी लड़ पड़ें और उन में त़लाक़ हो जाए। इस के लिये पहले गुनाहों और ग़ीबतों के दरवाज़े खुलते हैं, मियां बीवी एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते हैं और फिर त़लाक़ हो जाती है। आप अपने

ज़ेह्न से शक बिल्कुल निकाल दें और बीवी के लिये दुआ़ करें। येह ज़ेह्न बना लें कि मेरी बीवी اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! अच्छी है, क्यूं कि वोह **अल्लाह** का नाम लेती है और नमाज़ पढ़ती है। बिलफ़र्ज़ नमाज़ नहीं भी पढ़ती तो कम अज़ कम मुसल्मान तो है। आप कोशिश कर के उसे नमाज़ों में लगा दें और ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, यूं नेकियां करें और आपस में प्यार महब्बत से रहें, वरना इस त़रह़ औलाद भी तबाह हो जाती है और जब घर टूटता है तो वोह दर बदर भी हो जाती है। **अल्लाह** करीम हमें झगड़ों से बचाए और काश ! सब मुसल्मानों के घर अम्न के गहवारे बन जाएं।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 105)

अपनी ज़ौजा से अच्छा सुलूक कीजिये

सुवाल अगर शौहर अपनी बीवी के साथ नरमी करता है तो लोग कहते हैं तुम "ज़न मुरीद" बन गए हो, इस का क्या ह़ल है ?

जवाब अगर कोई शख़्स ख़ौफ़े ख़ुदा के बाइस अपनी ज़ौजा से ख़ुश अख़्लाक़ी के साथ पेश आता है या उस से नर्म बरताव करता है और लोग उसे "ज़न मुरीद" होने का त़ा'ना देते हैं तो यक़ीनन येह उस की दिल आज़ारी का सबब होगा। लेकिन शौहर को चाहिये कि अपनी ज़ौजा के साथ हुस्ने सुलूक जारी रखे लोगों के कुछ भी कहने पर दिल बरदाश्ता न हो और हरगिज़ अपने रवय्ये में तब्दीली न लाए बल्कि मज़ीद नरमी के साथ पेश आए। फ़ी ज़माना लोगों के अन्दाज़ यक्सर बदल चुके हैं ख़ुसूसन अपनी ज़ौजा के साथ इन का रवय्या इन्तिहाई ना गुफ़्ता बेह होता जा रहा है। इस के बा वुजूद येह लोग अपनी ज़ौजा से मुआ़फ़ी मांगना अपनी कस्रे शान समझते हैं, ह़ालां कि बीवी पर ज़ुल्म किया हो तो

मुआ़फ़ी मांगना वाजिब है। इन्हें चाहिये कि अपनी ज़ौजा से मुआ़फ़ी तलाफ़ी करते रहा करें। येह ज़रूरी नहीं कि ज़ुल्म किया होगा तो ही मुआ़फ़ी मांगी जाएगी बल्कि एह़तियाती मुआ़फ़ी मांग ली जाए तब भी ह़रज नहीं बल्कि एह़तियाती मुआ़फ़ी मांगना मियां बीवी के दरमियान मह़ब्बत में इज़ाफ़े का सबब है। اَلْحَمْدُلِلّٰه ! मेरा मा'मूल है मैं एह़तियाती मुआ़फ़ी मांगता रहता हूं जैसे कोई बड़ी रात या बड़ा दिन आता है तो मैं मुआ़फ़ी तलाफ़ी की तरकीब बना लेता हूं इस से हरगिज़ किसी की शान में कमी नहीं आती और न ही किसी की इ़ज़्ज़त कम होती है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 105)

क्या त़लाक़ का सोचने से त़लाक़ हो जाती है ?

सुवाल क्या त़लाक़ के बारे में सोचने से त़लाक़ हो जाती है ?

(Facebook के ज़रीए़ अ़ब्दुर्रशीद का सुवाल)

जवाब जी नहीं, त़लाक़ का सोचने से त़लाक़ नहीं होती।[1] त़लाक़ के मसाइल के मुतअ़ल्लिक़ मदनी मुज़ाकरे में सुवालात न किये जाएं, इस के जवाबात यहां नहीं दिये जाते। बा'ज़ अवक़ात आदमी आंटी मार कर कुछ पूछ लेता है और जा कर कुछ का कुछ कर देता है, इस लिये "दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत" फ़रीक़ैन को बुलाता है और दोनों की सुन कर फिर त़लाक़ के तअ़ल्लुक़ से फ़ैसला देता है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 111)

शादी के बा'द शौहर का नाम अपने नाम के साथ लगाना कैसा ?

सुवाल क्या मुस्लिम ख़वातीन शादी के बा'द वालिद के नाम के बजाए शौहर का नाम अपने नाम के साथ लगा सकती हैं ? (SMS के ज़रीए़ सुवाल)

1... आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : दिल में त़लाक़ देने से नहीं होती जब तक ज़बान से न कहे। (फ़तावा रज़विय्या, 12/381)

जवाब इस में शर्अ़न ह़रज नहीं है, लेकिन Risk (या'नी ख़त़रा) बड़ा है कि अगर घर न चला और शौहर ने "One Two Three" कर दिया (या'नी त़लाक़ दे दी) तो अब किस का नाम लगाएगी ? इस लिये बाप का नाम लगाने में हर सूरत में आ़फ़ियत है। आज कल तो औ़रत अपने शौहर के नाम से ही पहचानी जाती है कि येह मिसिज़ फ़ुलां है। अगर शौहर ने "One Two Three" कर दिया तो मिसिज़ कैसे कहेगी ? बल्कि फिर तो उस के नाम से नफ़रत हो जाएगी जब कि बाप बाप ही रहता है और इस से नफ़रत भी नहीं होती। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 111)

मेकअप किया हुवा हो तो वुज़ू हो जाता है ?

सुवाल अगर मेकअप किया हुवा हो तो वुज़ू हो जाता है ?

(सोशल मीडिया के ज़रीए सुवाल)

जवाब अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस का जिर्म या तह जमी हुई है और पानी उस के नीचे नहीं बहता तो वुज़ू नहीं होगा। (فتاویٰ ہندیہ، 5/1, मिरआतुल मनाजीह़, 6/175) अगर बिल्कुल तेल की त़रह़ चुपड़ी हुई है जिस की तह नहीं है और पानी बह जाता है तो वुज़ू हो जाएगा। अगर घी की तह जमी हुई है तो वुज़ू नहीं होगा, क्यूं कि उस के नीचे पानी नहीं बहेगा, अलबत्ता अगर घी भी तेल की त़रह़ है और जमा हुवा नहीं है तो वुज़ू हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ आ'ज़ाए वुज़ू पर नहीं होनी चाहिये जिस का जिस्म हो और वोह उखड़ती हो जैसे पपड़ी उखड़ती है। (فتاویٰ ہندیہ، 5/1, फ़तावा रज़विय्या, 1/289, 290) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 111)

क्या घर की बातें दूसरों को बतानी चाहिएं ?

सुवाल क्या घर की बातें दूसरों को बतानी चाहिएं ?

(एक बच्चे का सुवाल)

जवाब अच्छे बच्चे घर की बात बाहर नहीं करते और दूसरों के घर के ह़वाले से सुवालात भी नहीं करते। इस त़रह़ के सुवालात के जवाब में बा'ज़ अवक़ात या तो घर के पोल खुलते हैं या बन्दा झूट बोलता है। दोनों सूरतों में नुक़्सान है। इस लिये बिग़ैर ज़रूरत सुवालात नहीं करने चाहिएं। बा'ज़ लोग त़रह़ त़रह़ के सुवालात करते हैं मसलन : "बहनें कितनी हैं ? बेटियां कितनी हैं ? बेटे कितने हैं ? शादी किस किस की हुई है ? बच्चे किस किस के हैं ? शादी नहीं हुई तो क्यूं नहीं हुई ? कोशिश कर रहे हैं ? उ़म्र बड़ी हो गई है जल्दी शादियां करवाओ !" वग़ैरा। इस त़रह़ के सुवालात मुआ़शरे में बहुत ज़ियादा किये जाते हैं। औ़रतें मिल कर बैठेंगी तो उन के अलग Topics (या'नी मौज़ूआ़त) होंगे, मर्द मिल कर बैठेंगे तो उन के अलग Topics होंगे। दोस्तों के अलग Topics होंगे और बच्चों के अलग Topics होंगे। यूं मुख़्तलिफ़ Topics पर पन्चायतें करते रहते हैं और सुवालात पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। सिर्फ़ काम की बात करनी चाहिये। क़ियामत के दिन एक एक लफ़्ज़ का ह़िसाब होगा। (تفسیر روح البیان، پ17، الانبیاء، تحت الآیہ:47، 5/486 ماخوذا) ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नई़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ने बड़ी प्यारी ह़िकायत नक़्ल की है कि एक शख़्स था जिस के अपनी बीवी के साथ मसाइल थे, उस के दोस्त ने पूछा कि क्या मस्अला है ? उस ने जवाब दिया कि घर की बात बाहर करना अच्छी बात नहीं है, येह कमीना पन है कि बन्दा मियां बीवी की बातें बाहर करे। जब मियां बीवी का झगड़ा बढ़ा तो बिल आख़िर त़लाक़ हो गई। अब उस के दोस्त ने कहा कि अब तो तुम्हारी त़लाक़ हो गई है, अब तो बताओ ! मस्अला क्या था ? उस ने जवाब दिया कि भाई ! वोह मेरे लिये बिल्कुल एक ग़ैर औ़रत हो गई है और मैं ग़ैर औ़रतों के चक्कर

में नहीं पड़ता। यूं उस शख़्स ने अपनी जान छुड़ाई। (तफ़्सीरे नईमी, पारह : 2, अल बक़रह, तहूतल आयह : 229, 2/417 माख़ूज़न) ऐसे समझदार आदमी अब मुआ़शरे में कितने हैं ! यहां तो घर टूटने से पहले ही हज़ार ग़ीबतें, हज़ार तोह्मतें और हज़ार झूट बोले जाते हैं, गुनाहों का सिल्सिला अलग शुरूअ़ हो जाता है जिस के बा'द घर टूटता है और तबाही मचती है। दोनों त़रफ़ से इतने गुनाह किये जाते होंगे कि اَلْاَمَانُ وَالْحَفِیْظ। **अल्लाह** करीम हम को सच बोलने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। हर सच्ची बात दूसरों को बोलने की भी नहीं होती, क्यूं कि किसी में वाक़ेई ऐब होता है और येह बताना सच भी कहलाएगा, लेकिन इस में ऐ़ब खोलना पाया जाएगा जो गुनाह की सूरत है। (फ़तावा रज़विय्या, 21/162) **अल्लाह** पाक हमें इस से बचने का भी ज़ेह्न नसीब करे। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 112)

औ़रतों को दौड़ने का हुक्म न देने में हिक्मत

सुवाल दौराने सई मीलैने अख़्ज़रैन में औ़रतों को दौड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, इस में क्या हिक्मत है ह़ालां कि ह़ज़रते सय्यिदतुना हाजिरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا तो दौड़ी थीं ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदतुना हाजिरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا बे क़रारी और इज़्तिराब के सबब दौड़ी थीं और **अल्लाह** पाक के करम से उन की येह अदा सिर्फ़ मर्दों के लिये बाक़ी रखी गई और औ़रतों को इस से मुस्तस्ना क़रार दिया गया। औ़रतें चूंकि आ़म त़ौर पर कमज़ोर होती हैं शायद इस लिये इन्हें दौड़ने का हुक्म नहीं दिया गया। अगर्चे मैं ने औ़रतों के न दौड़ने की हिक्मतें किसी किताब में नहीं पढ़ीं मगर एक हिक्मत पर्दा भी समझ में आती है कि अगर औ़रतें दौड़ेंगी तो उन के आ'ज़ा हिलेंगे जिस के बाइ़स

مَعَاذَاللہ गैर मर्दों के लिये बद निगाही का सामान होगा। याद रखिये ! शरीअत का कोई भी हुक्म हिक्मत से ख़ाली नहीं होता और सब से बड़ी हिक्मत **अल्लाह** पाक और उस के प्यारे हबीब صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का किसी काम के करने या न करने का हुक्म देना है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 8)

इस्लामी बहनों को अपनी ID बनाना कैसा ?

सुवाल कई औरतें इन्टरनेट पर बिन्ते अत्तार और कनीज़े अत्तार वग़ैरा नामों से अपनी फ़ेसबुक ID और पेज बनाती हैं जिस के बाइस कई ग़लत राबिते क़ाइम हो जाते होंगे क्या उन का ऐसा करना दुरुस्त है ?

जवाब औरतों को सूरए नूर की ता'लीम देने का हुक्म दिया गया है (फ़तावा रज़विय्या, 24/455) और सूरए यूसुफ़ की तफ़्सीर पढ़ाने से मन्अ किया गया है कि इस में एक औरत के मक्र का ज़िक्र है।

चुनान्चे मेरे आक़ा आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : सहीह हदीस से साबित है कि लड़कियों को सूरए यूसुफ़ का तरजमा (व तफ़्सीर) न पढ़ाएं कि इस में मक्रे ज़नां (या'नी औरतों के धोका देने) का ज़िक्र फ़रमाया है। (फ़तावा रज़विय्या, 24/455) जब औरतों को क़ुरआने करीम की सूरए यूसुफ़ की तफ़्सीर पढ़ाने से मन्अ किया गया है तो फ़ेसबुक चलाने की इजाज़त किस तरह दी जा सकती है कि जहां बे हयाई की बातें होती हैं। औरतों को तो अपना नाम भी ज़ाहिर नहीं करना चाहिये। मेरी एक ही बेटी है शायद ही उस का नाम हाज़िरीन में किसी इस्लामी भाई को मा'लूम हो क्यूं कि मैं उस का नाम लेता ही नहीं। बा'ज़ लोग धड़ल्ले से खुले आम अपनी बहू बेटियों के नाम लेते हैं मुझे येह पसन्द नहीं है। जब मैं किसी

के सामने अपनी बेटी का नाम लेना पसन्द नहीं करता तो फिर उस के नाम का पेज किस त़रह़ पसन्द कर सकता हूं जो आ़म त़ौर पर बहुत सारी ख़राबियों और गुनाहों का मज्मूआ़ होता है और जिस में तस्वीरें, आवाज़ें और न जाने क्या क्या डाला जाता होगा। बहर ह़ाल अगर कोई "बिन्ते अ़त्त़ार" के नाम से पेज खोल कर येह ज़ाहिर करना चाहती हो कि वोह "बिन्ते अ़त्त़ार" या'नी अ़त्त़ार की ह़क़ीक़ी बेटी है तब तो येह ह़राम और गुनाहे कबीरा है। ह़दीसे पाक में इस पर ला'नत की गई है।[1] नीज़ अगर लोगों को धोका देने की निय्यत से "बिन्ते अ़त्त़ार" के नाम से पेज खोला कि लोग धोके से इस पेज को देखें तो इस सूरत में झूट और धोके के गुनाह से भी तौबा करना वाजिब है।

जो इस्लामी बहनें अपने नाम के साथ अ़त्त़ारिय्या, क़ादिरिय्या और रज़विय्या लिख कर आईडी बनाएं या पेज चलाएं मेरी त़रफ़ से उन की न पज़ीराई है और न ही ह़ौसला अफ़्ज़ाई। जो इस्लामी बहनें वाक़ेई अ़त्त़ारिय्या हैं और जिन के ख़मीर में अ़त्त़ारिय्यत शामिल है उन्हें मेरी त़रफ़ से पेज चलाने की इजाज़त ही नहीं बल्कि अगर अ़त्त़ारिय्या न भी हो जो भी मुझ से अ़क़ीदतो मह़ब्बत रखने वाली मेरी मुसल्मान मदनी बेटी है वोह पेज न चलाए। लफ़्ज़े "औ़रत" के लुग़वी मा'ना ही छुपाने की चीज़ हैं लिहाज़ा औ़रत के लिये चादर और चार दीवारी है। बहारे शरीअ़त में है : औ़रत की आवाज़ भी औ़रत है या'नी ग़ैर मह़रम को बिला ज़रूरत

1... ह़दीसे पाक में है : जो कोई अपने बाप के सिवा किसी दूसरे या किसी ग़ैर वाली (या'नी अपने आक़ा के इलावा किसी और) की त़रफ़ मन्सूब होने का दा'वा करे तो उस पर **अल्लाह** पाक, फ़िरिश्तों और सब लोगों की ला'नत है **अल्लाह** पाक क़ियामत के दिन उस का न कोई फ़र्ज़ क़बूल फ़रमाएगा और न ही कोई नफ़्ल। (مسلم، ص546، حدیث:3327)

सुनाने की इजाज़त नहीं। (बहारे शरीअ़त, 1/552, हि़स्सा : 3) लिहाज़ा सजधज कर पेज पर आना और गलियों बाज़ारों में घूमना बा ह़या औ़रतों का काम नहीं। इस्लामी बहनों से मेरी मदनी इल्तिजा है कि येह किसी के पेज को लाइक भी न करें कि येह ना लाइक़ी है। इन्टरनेट चलाना और सोशल मीडिया की त़रफ़ जाना इस्लामी बहनों का काम ही नहीं लिहाज़ा जितना हो सके इस से बचें।

दुआए अ़त्तार

या अल्लाह ! जो भी मेरी मदनी बेटी अपना पेज बन्द कर दे और जो अपना पेज खोलने का सोच रही है वोह इस से बाज़ रहे और जो पहले से ही बाज़ है इन सब को बे हि़साब मग़्फ़िरत से नवाज़ कर जन्नतुल फ़िरदौस में ख़ातूने जन्नत, बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا का पड़ोस नसीब फ़रमा। اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 8)

औ़रत के लिये त़वाफ़ की एह़तियातें

सुवाल दौराने त़वाफ़ बा'ज़ औ़रतों का मर्दों से इख़्तिलात़ से बचने का ज़ेह्न नहीं होता, इस का ह़ल इर्शाद फ़रमा दीजिये।

जवाब दौराने त़वाफ़ बा'ज़ औ़रतें बड़ी बेबाकी के साथ मर्दों के दरमियान घुस जाती और उन्हें धक्के मारते हुए आगे निकल जाती हैं। ऐसा वोही औ़रतें करती हैं जिन का ग़ैर मर्दों से जिस्म छू जाने से बचने का बिल्कुल ज़ेह्न नहीं होता। ऐसी तमाम ख़वातीन को उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सौदह رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا के मुबारक अन्दाज़ से सबक़ ह़ासिल करना चाहिये चुनान्चे

उम्मुल मुअमिनीन का बे मिसाल पर्दा

उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सौदह رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا से अ़र्ज़ की गई : आप को क्या हो गया है कि आप ह़ज करती हैं न उ़म्रह ? आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ ने जवाब दिया : मैं ने ह़ज भी कर लिया है और उ़म्रह भी। **अल्लाह** पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं घर में रहूं। ख़ुदा की क़सम ! मैं दोबारा घर से नहीं निकलूंगी। रावी का बयान है : बख़ुदा ! वोह अपने दरवाज़े से बाहर न आईं यहां तक कि वहां से आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا का जनाज़ा ही निकाला गया। (در منثور، پ22، الاحزاب، تحت الآیۃ:33، 6/599) देखा आप ने उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सौदह رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا की कैसी मुबारक सोच थी कि एक मरतबा फ़र्ज़ ह़ज करने के बा'द सिर्फ़ पर्दे की वज्ह से नफ़्ली ह़ज नहीं फ़रमाया ह़ालां कि उस वक़्त आज की त़रह़ भीड़ नहीं होती थी। लिहाज़ा इस्लामी बहनों को चाहिये कि ह़रमैने त़य्यिबैन में पर्दा करने के साथ साथ हर जगह अपने पर्दे को यक़ीनी बनाएं। त़वाफ़ में भी ह़त्तल इम्कान मर्दों के साथ टकराने से ख़ुद को बचाएं। ह़ालते एह़राम में औ़रतों के लिये अपना चेहरा खुला रखना ज़रूरी होता है लेकिन पर्दा फिर भी करना होगा। लिहाज़ा किसी किताब या गत्ते वग़ैरा की आड़ कर के अपने चेहरे को छुपाएं। बा'ज़ इस्लामी बहनें ऐसी टोपी (Cap) पहनती हैं जिस के आगे कपड़ा लटका होता है, इस से भी पर्दा तो हो जाएगा लेकिन इस में येह मस्अला है कि पसीना पोंछते वक़्त या हवा चलने की वज्ह से वोह कपड़ा जब जब चेहरे से चिपकेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा। लिहाज़ा इस परेशानी से बचने के लिये गत्ते या किताब वग़ैरा की आड़ से चेहरा छुपाना बेहतर है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 8)

क्या मियां बीवी जन्नत में यक्जा होंगे ?

सुवाल क्या मियां बीवी दोनों जन्नत में एक साथ रहेंगे ?

जवाब जी हां ! अगर मियां बीवी का ख़ातिमा ईमान पर हुवा तो येह दोनों जन्नत में साथ रहेंगे । (التذکرۃ باحوال الموتی وامور الاخرۃ، ص462) अगर इन में से किसी का مَعَاذَاللہ ईमान सलामत न रहा तो दोज़ख़ उस का ठिकाना होगा और जो जन्नत में जाएगा उस का किसी दूसरे जन्नती से निकाह़ हो जाएगा । जन्नत में जाने वाले को अपने दूसरे फ़रीक़ के बिछड़ने का कोई ग़म व सदमा भी नहीं होगा क्यूं कि जन्नत ग़म और सदमे का मक़ाम नहीं ।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 8)

''10 बीबियों की कहानी'' की शर्ई हैसिय्यत

सुवाल अगर किसी ने मन्नत मानी कि मेरा फ़ुलां काम हो जाए तो मैं 10 बीबियों की कहानी पढ़वाऊंगी, तो उन से कहा जाए कि येह मन्नत पूरी करना ज़रूरी नहीं है येह कहानियां मन घड़त हैं इन की जगह क़ुरआन शरीफ़ का ख़त्म करवा लें या चन्द क़ुरआनी सूरतें पढ़वा लें तो वोह कहती हैं कि मैं ने मन्नत मानी है अगर पूरी न की तो दिल में त़रह़ त़रह़ के वस्वसे आएंगे, उन को किस त़रह़ समझाया जाए ?

जवाब शर्ई मस्अला है कि अगर किसी ना जाइज़ काम की मन्नत मानी तो उसे पूरा करना भी ना जाइज़ है उस को पूरा नहीं किया जाएगा । (بدائع الصنائع، 4/227) लिहाज़ा ''10 बीबियों की कहानी'' सुनने या पढ़ने की मन्नत मानी तो इस की जगह सूरए यासीन शरीफ़ पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होगा । हां ! अगर कोई पढ़ता है तो अच्छी बात है अलबत्ता 10 बीबियों की कहानी की मानी हुई मन्नत पूरी न की जाए । अगर कोई इस त़रह़ मन्नत माने कि मेरा फ़ुलां काम हो गया तो आज इ़शा की नमाज़ नहीं

पढ़ूंगा तो ज़ाहिर है येह मन्नत पूरी करना उस पर वाजिब नहीं होगा बल्कि ऐसी मन्नत मानना ही ना जाइज़ होगा क्यूं कि इस मन्नत को पूरा करने के लिये इ़शा की नमाज़ छोड़ना होगी जिस की वज्ह से बन्दा गुनाहगार होगा। बहर ह़ाल "10 बीबियों की कहानी, शहज़ादे का सर और जनाबे सय्यिदह की कहानी" येह सब मन घड़त हैं इन की कोई शर्ई हैसिय्यत नहीं है, इन का पढ़ना और इन की मन्नत मानना ना जाइज़ है। अगर कुछ पढ़ना है तो यासीन शरीफ़ पढ़ ली जाए इस में भी उतना ही वक़्त लगेगा जो इन कहानियों में लगता है बल्कि इस से भी कम वक़्त लगेगा, फिर इस की बरकतें भी हैं और फ़ज़ाइल भी। चुनान्चे ह़दीसे पाक में है कि एक बार यासीन शरीफ़ पढ़ने पर 10 क़ुरआने पाक का सवाब मिलता है। (ترمذی، 4/406، حدیث:2896) मा'लूमात की कमी की वज्ह से इन कहानियों का रवाज पड़ा है फिर येह ज़ेह्नों में नक़्श भी हो गई हैं इन्हें छोड़ना बड़ा दुश्वार है लेकिन हम समझा ही सक्ते हैं डन्डा ले कर मनवा नहीं सक्ते। साइल ने समझाने की कोशिश की बहुत अच्छा किया कि समझा कर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, येह ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को मनवा कर ही छोड़ें, बस उन के ह़क़ में दुआ करते रहें।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 61)

क्या शौहर की इजाज़त के बिग़ैर बीवी घर से जा सकती है ?

सुवाल क्या औ़रत का अपने शौहर की इजाज़त के बिग़ैर कहीं जाना जाइज़ है ? अगर उसे रोका जाए तो वोह कहती है कि मैं ने ह़क़ महर मुआ़फ़ कर दिया था, इस लिये इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, इस ह़वाले से राहनुमाई फ़रमा दीजिये।

जवाब औ़रत को (बिला उ़ज़्रे शर्ई) बिग़ैर इजाज़त घर से निकलने की

शर्अ़न इजाज़त नहीं है। (अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के क़रीब बैठे हुए मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया :) औ़रत हफ़्ते में एक मरतबा अपने वालिदैन से मिलने के लिये जा सकती है इस में शर्अ़न शौहर की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी बेहतर येही है कि शौहर की इजाज़त से ही जाए। इसी त़रह़ मह़ारिम या'नी क़रीबी रिश्तेदार जैसे भाई बहन वग़ैरा से साल में एक मरतबा शौहर की इजाज़त के बिग़ैर मिलने जा सकती है लेकिन इजाज़त ले कर ही जाना चाहिये ताकि घर का माह़ोल अच्छा रहे। (फ़तावा रज़विय्या, 13/478) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 71)

औ़रत की आंख फड़क्ने से शुगून लेना कैसा ?

सुवाल जब औ़रत की सीधी या उल्टी आंख फड़के तो क्या होता है ?

जवाब (मर्द या औ़रत किसी की भी) सीधी या उल्टी आंख फड़क्ने से कुछ नहीं होता। येह अ़वाम की बातें हैं कि उल्टी आंख फड़क्ने में बद शुगूनी और बुरी फ़ाल लेते हैं ह़ालां कि बुरी फ़ाल लेना ना जाइज़ है।[1] मज़ीद मा'लूमात के लिये मक्तबतुल मदीना की 128 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब "बद शुगूनी" का मुत़ालआ़ कीजिये। इस किताब में इतनी मा'लूमात हैं कि इसे पढ़ने के बा'द आप की आंखें खुल जाएंगी और आप ह़ैरान रह जाएंगे कि अभी तक येह मसाइल मुझे मा'लूम ही नहीं थे। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 32)

दूल्हा दुल्हन के सलामी लेने की जाइज़ और ना जाइज़ सूरत

सुवाल क्या दूल्हा दुल्हन का इकठ्ठे बैठ कर रिश्तेदारों से सलामी लेना जाइज़ है जब कि इस दौरान मूवी और तसावीर भी बनती हैं और दूल्हा

1... बद शुगूनी लेना ह़राम और नेक फ़ाल या अच्छा शुगून लेना मुस्तह़ब है। (حدیقہ ندیہ، 3/175-179)

दुल्हन ग़ैर मह़रम से भी सलामी लेते हैं ?

जवाब सुवाल में जो सूरत पूछी गई है येह तो ना जाइज़ है कि ना मह़रम वहां मौजूद हैं और दूल्हा दुल्हन उन से मिल कर सलामी ले रहे होते हैं। दुल्हन ना मह़रम मर्दों के सामने हो और दूल्हा के सामने ना मह़रम औ़रतें हों और येह आपस में लेनदेन, मज़ाक़ मस्ख़री कर रहे हों, बद निगाही का माह़ोल हो और म्यूज़िक भी चल रहा हो तो इस त़रह़ का माह़ोल बनाना गुनाह है। हां अगर सिर्फ़ घर के मह़ारिम मसलन मां बहनें बैठी हैं और तह़ाइफ़ का लेनदेन हो रहा है और वहां कोई ना मह़रम नहीं और न ही गाने बाजे वग़ैरा कोई बेहूदा ह़रकत हो तो फिर जाइज़ है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 32)

ना मह़रम की छींक और सलाम का जवाब देने की सूरतें

सुवाल अगर किसी ना मह़रम को छींक आए तो क्या उस का जवाब देना चाहिये ?

जवाब बहारे शरीअ़त जिल्द 3 सफ़ह़ा 477 पर है : औ़रत को अगर छींक आई अगर वोह बूढ़ी है तो मर्द उस का जवाब दे, अगर जवान है तो इस त़रह़ जवाब दे कि वोह न सुने, मर्द को छींक आई और औ़रत ने जवाब दिया अगर जवान है तो मर्द उस का जवाब अपने दिल में दे और बूढ़ी है तो ज़ोर से जवाब दे सकता है। (فتاویٰ ہندیہ، 5/326) इसी में सफ़ह़ा 461 पर है : मर्द और औ़रत की मुलाक़ात हो तो मर्द औ़रत को सलाम करे और अगर औ़रत अज्नबिय्या ने या'नी ना मह़रम औ़रत ने मर्द को सलाम किया और वोह बूढ़ी हो तो इस त़रह़ जवाब दे कि वोह भी सुने और वोह जवान हो तो इस त़रह़ जवाब दे कि वोह न सुने।

(فتاویٰ خانیہ، 2/377) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 32)

हुस्ने अख़्लाक़ का ज़ियादा हक़दार कौन ?

एक शख़्स रहमते आ़लम, नूरे मुजस्सम صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم की बारगाह में हाज़िर हो कर अ़र्ज़ गुज़ार हुवा : **या रसूलल्लाह** صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم ! मेरे हुस्ने अख़्लाक़ का ज़ियादा हक़दार कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : तुम्हारी मां । उस ने दोबारा अ़र्ज़ की : इस के बा'द कौन ? इर्शाद फ़रमाया : तुम्हारी मां । तीसरी बार अ़र्ज़ की : इस के बा'द कौन ? तो आप صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم ने इस मर्तबा भी येही इर्शाद फ़रमाया : तुम्हारी मां । उस ने फिर अ़र्ज़ की : इस के बा'द कौन ? तो आप صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : तेरा बाप ।

(بخاری، 4/93، حدیث:5971)

978-969-722-230-8
01082254

فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی کراچی
UAN +92 21 111 25 26 92 0313-1139278
www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net
feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net